क्रमांक 52/14/80-एस: (I) (ख)

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. सभी उपायुक्त, हरियाणा ।

2. सभी जिला पुलिस अधीक्षक, हरियाणा ।

3. उप महानिरीक्षक, (गुप्तचर विभाग) हरियाणा ।
दिनांक, चण्डीगढ़ 10 सितम्बर, 1980

विषय :-- सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के चरित्र पूर्ववृत का सत्यापन किये जाने में देरी को समाप्त करना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर राज्य सरकार के परिपत्रक्रमांक 72/21/79-एस: दिनांक 25-4-79 के संदर्भ में निदेशानुसार भारत सरकार के पत्र क्रमांक 18011/8 (एस) स्था (बी) दिनांक 4-8-80 की प्रति संलग्न है और आपसे अनुरोध है कि उम्मीदवारों के पूर्ववृत तथा चरित्र सत्यापन की समस्त कार्यवाही, राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक 1824-एस-69/9201, दिनांक 22-5-69 द्वारा जारी किये गये अनुदेशों में निर्धारित, 29 दिन की अवधि में अवश्य मुकम्मल की जाया करें । यदि किसी विशेष मामले में इससे अधिक देरी लगने की सम्भावना हो तो नियोक्ता प्राधिकारियों को स्थिति से अवगत कराने हेतु अन्तरिम उत्तर भेज दिया जाए और सत्यापन की कार्यवाही शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण करने का प्रयत्न किया जाए ।

भवदीय

हस्ता/-

अवर सचिव प्रशासन,
कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

पृ० क्रमांक 52/14/80 एस: (I) (ख) दिनांक 10 सितम्बर, 1980

एक प्रति निदेशक, भारत सरकार गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, नई दिल्ली को उनके पत्र क्रमांक 18011/8 (एस)/80-स्था (बी) दिनांक 4-8-80 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है ।

हस्ता/-

अवर सचिव प्रशासन
कृते : मुख्य सचिव हरियाणा सरकार ।